136

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2433—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—07—2015 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील अम्बाह, जिला—मुरैना के प्रकरण क्रमांक 18/अ—6/2014—15/निगरानी

.....

1— रूबी पुत्री रामेश्वर दयाल

2— अंशू पुत्री रामेश्वर दयाल

3— रघुनन्दन पुत्र रामेश्वर दयाल

निवासीगण— वार्ड क्र. 2 पूठ रोड अम्बाह

जिला—मुरैना(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामनरेश

2— अमरेश

3— शिवदत्त, पुत्रगण श्री रामेश्वर दयाल

निवासीगण— बीकापुर तहसील

व जिला—आगरा (उ0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16.11.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार, तहसील अम्बाह, जिला—मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—07—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नावली तहसील अम्बाह, जिला–मुरैना की विवादित सर्वे क्रमांक 1705 रकबा 0.89 आरे व 1706 रकबा 0.65 आरे कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 आरे है। उक्त कृषि भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है। उक्त भूमि को एक व्यक्ति द्वारा विक्रय नहीं किया जा सकता और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किया जाना संभव नहीं है। आवेदकगण के पिता रामेश्वर दयाल द्वारा उक्त भूमि को बिना किसी सहमति के विक्रय कर दिया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण द्वारा नामांतरण चाहा गया, जिसमें आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत एक आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति पर दिनांक 27.07.2015 को आपत्तिकर्ता की अनुपस्थिति में सुनवाई कर आपत्ति निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति को किसी एक व्यक्ति द्वारा क्रय–विक्रय नहीं किया जा सकता है क्योंकि, आवेदकगण की सहमति की आवश्यकता होगी। उक्त प्रकरण में आवेदकगण की सहमति लिये बिना विक्रय कर दी गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन पत्र में आवेदकगण की आपत्ति दिनांक 25.05.2015 को प्रस्तुत की जाकर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में यह व्यवस्था दी गई है कि जहॉ पैत्रिक सम्पत्ति होने से पिता की मृत्यु के बाद सभी को समान भाग का हित होने से आपत्ति की गई । उक्त आपत्ति को बिना किसी आधार के दिनांक 27.07.2015 से निरस्त करने में वैधानिक भूल की है। आपत्तिकर्तागण की मॉ मुन्नी देवी विक्रेता को उक्त भूमि पिता की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है । इस कारण आपत्तिकर्तागण को उक्त विवादित भूमि पैत्रिक को आवेदकगण की मां मुन्नी देवी द्वारा बिना आपत्तिकर्ता की सहमति के विक्रय कर दी गई है। आपत्तिकर्ता के स्वत्वों को अपूर्तनीय क्षति हुई है। इस कारण आपत्तिकर्तागण की आपत्ति वैधानिक होने से अनावेदकगण का नामांतरण किया जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण को उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति करने का वैधानिक अधिकार होने से अधीनस्थ ने उक्त आपत्ति को नजरअंदाज कर स्वत्वों के निराकरण को ध्यान में रखे बिना साक्ष्य व प्रतिसाक्ष्य लिये बिना नामांतरण करने के प्रयास में

है। जबकि उक्त विक्रय पत्र के संबंध में क्रेता द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति को नजरअंदाज कर स्वत्वों के निराकरण को ध्यान में रखे बिनाए साक्ष्य व प्रतिसाक्ष्य लिये बिना नामांतरण करने का प्रया समें है। जबकि, उक्त विक्रय पत्र के संबंध में क्रेता द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामातंरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जांता है तब उद्धोषणा जारी की जाती है व हितबद्ध पक्षकार को उक्त नामांतरण में स्वत्व की आपत्ति की जाती है तब उक्त आपत्ति को उन्हें विधिवत साक्ष्य व सुनवाई तथा स्वत्व के निराकरण के लिये सिविल वाद संस्थित करने के लिये 3 माह का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विशेष जल्दबाजी में बिना स्वत्व का निराकरण किये आपत्तिकर्त्तागण की आपत्ति संहिता की धारा 32 के अधीन प्रस्तुत की है। उसे निरस्त करने में भूल की है। अतः ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाकर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे।

5/ अनावेदक के अभिभाषक ने संक्षिप्त में तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि प्रकरण में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, इसलिये निगरानी निरस्त की जाये तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि ग्राम नावली तहसील अम्बाह, जिला–मुरैना की विवादित सर्वे क्रमांक 1705 रकबा 0.89 आरे व 1706 रकबा 0.65 आरे कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 आरे है। उक्त कृषि भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है। जिसे किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बेचा जा सकता है। ऐसे में आवेदकगण के पिता रामेश्वर दयाल द्वारा उक्त भूमि को विक्रय कर दिया गया । जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत एक आपत्ति का आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में धारा 32 के आवेदन पत्र में सुनवाई की गई । वरिष्ठ न्यायालय से कोई स्थंगन का आदेश प्राप्त न होने की स्थिति में तहसीलदार ने प्रकरण में आवेदन पत्र धारा 32 अस्वीकार किया है, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार है। मेरे मतानुसार तहसीलदार ने अपने आदेश में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ अतः ऊपर की गई विवेचना के आधार पर यह निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, तहसील अम्बाह, जिला–मुरैना का आदेश दिनांक 27.07.2015 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0क0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर